समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना, के पत्रांक 3936/आ0प्र0 दिनांक 03.11. 2014 एवं पत्रांक 4477/आ0प्र0 दिनांक 16.12.2014 से प्राप्त निदेश के आलोक में बाढ़ आपदा की स्थिति मे विस्थापितों हेतु चलाए जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने एवं परोसने हेतु बर्त्तनों का क्रय करने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदनाम से मो0– 5000.00 (पाँच हजार)रु0 की जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रुप में जमा करानी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.02.2015 को अपराहन 1:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराहंन 3:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी जिसमें स्वंय निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें है। बर्त्तन के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मात्रा
1	पतीला अल्युमिनियम 30″	02
2	पतीला अल्युमिनियम 25″	01
3	पतीला अल्युमिनियम 20″	02
4	पतीला अल्युमिनियम 18″	01
5	परात अल्युमिनियम 29″	01
6	परात अल्युमिनियम 26″	01
7	कड़ाही लोहे की 29″	02
8	पलटा लोहा बड़े साईज का	02
9	झरना लोहा बड़े साईज का	01
10	झरना लोहा छोटे साईज का	01
11	करछी स्टील/लोहा बड़े साईज का	02
12	करछी स्टील/लोहा मंझले साईज का	06
13	प्रेशर कुकर 22ली0	01
14	आटा चलनी बड़े साईज का	02
15	थाली	100
16	कटोरा	100
17	चकला–बेलन बड़े साईज का (पिढ़ा टाईप)	02
18	गैस भट्ठी	02
19	चपाती भट्ठी तावा के साथ	01
20	डल्लु स्टील 250ग्रा0	02
21	चिमटा स्टील	02
22	हमाम दस्ता	01
23	लोहा के बाल्टी 16″	05
24	चाकू बड़ा	04
25	चाकू छोटा	04
26	ग्लास	100
27	जग स्टील	05

28	स्टील कन्टेनर (क्षमता 25 किलो से 100 किलो ग्राम)	10
29	कठौता	05
30	अल्युमिनियम ट्रे	05

निविदा की शर्ते :-

(क) **तकनीकी निविदा की शर्ते :-**

1. प्रत्येक निविदादाता को 5000.00(पाँच हजार)रु0 का जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पक्ष में निर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा दाता को वाणिज्यकर विभाग से निबंधन प्रमाण–पत्र एवं आयकर विभाग से पैन नम्बर का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा तथा अद्यतन वाणिज्यकर विभाग से निर्गत शोधन विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिस आईटम के लिए Shop & Establishment Act एवं सेवाकर के अन्तर्गत निबंधन आवश्यक है, उस आईटम के लिए उस के तहत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना अवश्य होगा।
4. निविदादाता फार्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता जिस सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक हैं, तत्संबंधी नमुना मुहरबंद थैले में अनिवार्य रुप से देना होगा ताकि सामग्रियों की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके।

(ख) **वित्तीय निविदा की शर्ते :-**

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. आपूर्ति–आदेश के अनुरुप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा 30(तीस) दिनों के अन्दर अपने व्यय से जिला मुख्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में करना होगा।
3. न्युनतम दर पर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एक–से–अधिक फर्मो को आदेश देने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. सभी सामग्रियों का दर सभी कर (वैट आयकर एवं सेवाकर) सहित देना होगा।
5. भुगतान के पूर्व नियमानुसार सरकार द्वारा निर्धारित वैट, आयकर, सेवाकर, की कटौती कर ली जायेगी।
6. आपूर्ति किये जाने वाले सभी सामग्रियों पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी अंकित करना होगा।
7. स्वीकृत निविदादाताओं के द्वारा ससमय सामग्री आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में आवश्यक परिस्थिति में अन्य निविदादाता से स्थानीय बाजार दर के अनुसार अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
8. समाग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
9. विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण के वेवसाईट eastchamapran.com पर देखा जा सकता है।

(ग) **समान्य शर्ते :-**

1. निविदा बिना किसी कारण बताये स्थगित करने/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. न्युनतम दर वाले निविदादाता/फर्म को आपूर्ति–आदेश निर्गत करने के पूर्व उनके प्रतिष्ठान/दुकान का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। निविदा में अंकित स्थल पर प्रतिष्ठान/दुकान उपलब्ध नहीं रहने पर आपूर्ति–आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
3. किसी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
4. निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
5. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जामा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. आपूर्ति किये गये सामग्री का अंतिम भुगतान महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा ... में प्राप्त सामग्री के अनुरुप गुणवत्ता का सत्यापन करने के पश्चात ही देय होगा।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।